

दुगा गुजा / मुहरम - 2017

7 दफ्तर सं०

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी,

मकरवाड सरकार
बनाम

M-85/2017 आदेश पत्रक

सरफराज जंसारी कोस

20/9/17

दस्तावेज संख्या :- एम. 85 / 2017 धारा :- 107 व. प्र. स.

थाना प्रमारी ~~तपकरा जीपी~~ के अप्राथमिकी संख्या :- 2/17


214
20/9/17

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :-

जिससे संभ्रमना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी ।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द० प्र० स० की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ । द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध -पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय ।

दिनांक :- 26/9/17 को उपस्थापित करें ।


अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी

2

20/1/18 को प्राप्त हुआ। दि. 9/1/18 को रखे

20/1/18 को प्राप्त हुआ। दि. 19/1/18 को रखे

तमिल अप्राप्त। पुनः दिनांक - 6/2/18 को रखे।

6/2/18 को प्राप्त हुआ। दि. 10/2/18 को रखे

10/2/18 को प्राप्त हुआ। मुहम्मद 2017 शान्ति-पूर्ण बंग से सम्पन्न हुआ। दिनांक - 10/2/18 को राष्ट्रीय लोक अदालत में इस वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

Adm.
10.2.18

10.2.18
Adm.

10.2.18

